

आदेश ब इजालास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या :- 36/2024 (धारा 14 शिक्योरिटाइजेशन)
आवास फाइनेशियर्स लिमिटेड, (फॉर्मली ऐमू हाउसिंग फाइनेंस लिमि0) 201, 202 द्वितीय तल साउथ एण्ड
स्ववायर मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह,
पता :- 5-ए जी-1 कृष्णा विहार विस्तार, हीरा पथ के सामने, मानसरोवर, जयपुर।
एवं 5-ए, कृष्णा विहार विस्तार, न्यू सांगानेर रोड, गोल्यावासा, सांगानेर जयपुर।
2. हनुमान सिंह केयर ऑफ गोविन्द सिंह,
3. आशा कंवर केयर ऑफ श्री गोविन्द सिंह,
पता :- 5-ए जी-1 कृष्णा विहार विस्तार, हीरा पथ के सामने, मानसरोवर, जयपुर।



अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002.

उपरिष्ठत :- श्री चन्द्र शेखर बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 19.02.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी गोविन्द सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नं. जी-1 ग्राउण्ड फ्लॉर, प्लॉट 5-ए, कृष्णा विहार विस्तार, न्यू सांगानेर रोड, गोल्यावासा, सांगानेर जयपुर, क्षेत्रफल 940 वर्गफुट को बन्धक रख कर दिनांक 10.10.2018 को 07,25,000/-रुपये एवं दिनांक 23.11.2018 को 02,75,000/-रुपये कुल 10,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 04.11.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने 'The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. पत्रावली के आबलोकन से स्पष्ट है कि प्राची वित्तीय संस्था ने अपराधीगणों को 10,00,000/- रुपये एवं 02,15,000/- रुपये का जमाना दिया है, जिसकी प्रमाणित जगतता के रूप में अपराधीगण ने उपरोक्त शर्तित सम्पत्ति बचक के रूप में प्राची वित्तीय संस्था को पास गिरवी रखी है। अपराधीगण का जमाना रकमा एन पी ए शीटित होने से विद्यमानपुरतः जमान वसूली के लिए बकाया जमान राशि नग्न आज कुल 10,22,513/- रुपये जमा कराने हेतु अपराधीगण को दिनांक 04.11.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। अपराधीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया है और अपराधीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया जमान राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बचक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बचक रखी गई सम्पत्ति का नैतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा-14 के प्राधान पत्र के समर्पण में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
4. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपमामुक्त/पुलिस अन्वेषक (प्राणीण) जयपुर को भेज कर लिखा जाने की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राची वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिखाने हेतु संबंधित धानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हरब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



आदेश आज दिनांक 10.02.2024 को सारे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला माजस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर